तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार ... हुक्म ... में ...
11-03-26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.......है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-4-26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-212 R.T. Act दि. 18/05/26 को पेश हो (हस्ताक्षर) 29/4/26	
18/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2074-77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सामरिया का ख०न० 1140/927 प्रार्थिया राधाबाई की खातेदारी में दर्ज है जबकि ख०न० 1236/927 अप्रार्थी क्रम 2 गायत्री बाई के खाते दर्ज है। मूल ख०न० 927 रकबा 8-09 बीघा मूलतः प्रार्थीया के पति मोहनलाल के खाते दर्ज था जिसमें से मोहनलाल ने उत्तर दिशा की 04 बीघा भूमि का बेचान रजि० विक्रयपत्र दिनांक 01/08/2017 को अप्रार्थी 2 को किया था। तहसीलदार सुनेल की मौका जाँच रिपोर्ट दिनांक 10/3/2021 के अनुसार तहसील को online करते समय संशोधन के दौरान मूल ख०न० 927 में तरमीम करते से सही पूर्व से	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * [illegible] जिला झालावाड़ *

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पश्चिम की ओर होनी थी लेकिन गलती से उत्तर से दक्षिण की ओर हो गई थी जिससे वाद-विवाद उत्पन्न हो गये है। प्रार्थीया द्वारा पेश वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री, व जमाबंदी संवत 2069-72 में अंकित नामा० सं० 1474 के नोट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी 2 ने उत्तर दिशा की 04 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन online नक्शे में तरमीम पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की गई है।	
	तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 13/5/2025 के अनुसार ख०नं० 1140/927 (online map के अनुसार) में खेत का बगीचा एवं ट्यूबवैल लगे हुए भी अप्रार्थी 2 के कब्जेकाश्त में है। अतः स्पष्ट है कि मूल ख०नं० 927 के सभी बटा नम्बरो के खातेदार मौके पर तो अपनी-2 जगह सही काबिज काश्त है, केवल सैग्रीगेशन के समय तहसील सुनेल के राजस्व कार्मिको द्वारा गलत तरमीम (पूर्व से पश्चिम की बजाए उत्तर से दक्षिण की ओर करने से) करने से वाद-विवाद उत्पन्न हुए है किसी भी पक्षकारान ना तो नया बलपूर्वक कब्जा किया है और ना ही भूमि को खुर्द-बुर्द किया है। प्रार्थीया का मूलवाद u/s 188 RT Act का है और धारा-188 RT Act की शर्तों का पालना प्रथम दृष्टया साबित नहीं हो रही है। पक्षकारान को चाहिए कि राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती हेतु u/s 131, 136 LR Act में सक्षम न्यायालय में प्रा०पत्र पेश करे।	
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में multiplicity of suit को रोकने एवं भूमि को संरक्षित रखने के लिए वादग्रस्त भूमि की मौके पर कब्जेकाश्त की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित होगा।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर... अहलकार... हुक्म... में
	अतः प्रार्थीया का प्रा०पत्र धारा 212 RT एक्ट व 39 R 1 & 2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद या तस्वीह दुरुस्ती तक मौके पर कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखें और मौके पर बने एक दूसरे के खेतों में जबरन दखल नहीं देवें। प्रकरण हैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़	
	18/5/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner